Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ को रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी कीमत 84,000/– रूपये का प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 09 जनवरी 2026, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड** को परिवादी से रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी कीमत 84,000/– **रूपये** का प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी को परिवादी द्वारा दिनांक 05.01.2026 को शिकायत दी गई कि परिवादी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ में हैंडपम्प रिपेयर और पाईप लाईन लिकेज रिपेयरिंग और लेण्ड सम्पर्क का कार्य किया जा रहा है। परिवादी द्वारा बताया गया की पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने की एवज में मुझसे पच्चीस हजार रूपये ले चुके है। परिवादी के पार्टनर व उसे नाजायज परेशान कर हमारे काम में आपत्तियां निकालते है तथा काम से हटाने की धमकी देते है। अगस्त माह से मुझसे एक आईफोन मोबाईल की मांग कर रहे है। मैने जो विभाग में लेबर लगाई थी, उसके बिल के सम्बंध में आरोप लगाया कि फर्जी बिल है, डीबार करने की धमकी देते है कि काफी समय से काम रहा है परन्तु होली दिवाली पर कुछ नहीं दिया इत्यादि। जिसके लिए परिवादी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड के अधीक्षण अभियन्ता (एस. ई. साहब) विष्णु चन्द गोयल जी से मिला तो उन्होने परिवादी का बकाया बिल पास करने तथा परेशान नही करने की एवज में एक आईफोन 16 प्रो मोबाईल की रिश्वत के रूप में मांग की गई, जो लगभग एक लाख तीस हजार रूपये करीब का आता है। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.01.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन प्रो 16, 17 मांगने की पुष्टि हुई, जो लगभग एक लाख पचास हजार रूपये करीब का आता है। इस पर आज दिनांक 09.01.2026 को परिवादी रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी के उसके कहेनुसार उसी के नाम का बिल बनवाकर आरोपी को देने हेतु कार्यालय में पेश किया गया।

जिस पर आज दिनांक 09.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री साजिद खान** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी विष्णु चन्द गोयल को परिवादी से रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी का लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा घर की तलाशी की कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।